न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री पंकज शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
110/2015	23.12.2015	28.02.2018

अनवान

सोहनलाल पिता देवाजी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. रतन लाल पिता लोबा जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. मु. प्रेमी पिता लोबा जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 पत्नि नारायण लाल जी जाति बैरवा हाल निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द राज0
3. मोहनी बेवा लोबा जी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. शंकर पिता देवा जी गोदपुत्र मांगूजी बैरवा निवासी सोमी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
5. श्रीमान् उपपंजीयक महोदयजी एवं तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. श्रीमान् पटवारी जी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
7. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री केएल अहीर एक तरफा।

वादी।
प्रतिवादी।

–:: वादपत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम सोमी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी
राशमी, जिला-चित्

पटवार क्षेत्र सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 के हल्के बैरूनी में निम्नांकित आराजीयात स्थित है। आराजी संख्या 209 रकबा 0-17 बीघा आराजी संख्या 212 रकबा 2-03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में वादी तथा प्रतिवादी संख्या एक से चार व मु0 झमकु बेवा देवा के नाम पर दर्ज है। झमकु की मृत्यु दिनांक 17.06.2014 को हो गई है। वादी के पिता देवा के परिवार सजरा मुताबिक वाद पत्र है। इस प्रकार उक्त देवा के तीन लडके थे लोबा, सोहन, शंकर। लोबा देवा के जीवनकाल में ही देवा के बडे भाई गोकर के गोद चला गया गोकल की मृत्यु देवा की मृत्यु से पहले ही हो गई थी तथा गोकल की आराजीयात का नामान्तरकरण भी लोबा के नाम फैसल हो गया था लोबा की मृत्यु के बाद लोबा के वारिस मु0 रतन प्रेमी मोहनी के नाम नामान्तरकरण फैसल हो गया। तथा देवा के छोटे के पुत्र शंकर भी देवा के जीवन काल में ही देवा के छोटे भाई मॉगु के गोद चला गया देवा के जीवनकाल में ही लोबा का कब्जा काश्त गोकल की कृषि आराजीयात पर हो गया तथा शंकर का कब्जा काश्त मॉगु की कृषि आराजीयात पर हो गया जो वर्तमान में भी चला आ रहा है। इस प्रकार वादी के पिता की मृत्यु के समय वारिस वादी तथा मु0 झमकु ही थे। मु0 झमकु की मृत्यु दिनांक 17.06.2014 को हो गई है झमकु की सेवा चाकरी व देखभाल वादी व उसके परिवारजनों ने ही की मु0 झमकु ने वादी के पक्ष में वसीयत नामा दिनांक 30.12.2013 को निष्पादित कर मु0 झमकु के हक अधिकार की समस्त चल अचल सम्पति कृषि आराजीयात सहित वादी के पक्ष में वसीयत कर दी इस प्रकार उक्त वाद वर्णित आराजीयात पर देवाजी की मृत्यु के पश्चात् वादी व मु0 झमकु का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा झमकु की मृत्यु के पश्चात् उक्त वाद वर्णित कुलिया आराजी पर (झमकु के हिस्से की अन्य आराजी

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सहित) एक मात्र कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है प्रतिवादीगण का उनके गोद जाने के समय से ही उक्त वर्णित आराजीयात पर से कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। वादी के पिता श्री देवा की मृत्यु उपरांत उक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण गलत रुप से वादी की अदम मौजूदगी में बिना जानकारी के प्रतिवादीगण ने अपने नाम मिलाभगति कर निर्णित करवा दिया जबकि मात्र वादी व वादी की माता मु0 झमकु के नाम ही निर्णित किया जाना चाहिए था झमकु की मृत्यु हो जाने से झमकु की वसीयत वादी के पक्ष में होने से तथा वाद वर्णित आराजीयात स्व0 देवा जी के स्व अर्जित होने से वादी वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करवा उक्त वर्णित आराजीयात को अकेला अपने नाम दर्ज करवाने की खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22.06.2015 को उक्त वर्णित आराजीयात में उनका नाम हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादी शंकर ने तो वादी के पक्ष में वादवर्णित आराजीयात अन्य आराजीयातों सहित उसका हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग करने बाबत् एक हक त्याग पत्र दिनांक 22.06. 2015 को निष्पादित करवा दिया परन्तु प्रतिवादीगण रतन प्रेमी मोहनी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मु0 कमला का एक दावा एसडीओ साहब राशमी के यहाँ चल रहा है तथा स्टे भी चल रहा है जिस कारण अभी हक त्याग नहीं करेगे। वादीगण को भी स्थगन होने की या नहीं होने की पूर्ण जानकारी नहीं थी। प्रतिवादीगण रतन मोहनी के निवेदन पर तहसीलदार साहब राशमी ने प्रतिवादी शंकर के द्वारा निष्पादित हक त्याग पत्र को पंजीयन नहीं फरमाया तथा शंकर ने भी यह कथन किया कि स्थगन हटते ही पंजीयन करा दूँगा। प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजीयात का अपने नाम खातेदारी के गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाने की तैयारी में होकर विक्रय करने पर तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

जिस बाबत वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद वर्णित आराजीयात का विक्रय दान आदि किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं करे न ही हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन करावे न ही नामान्तरकरण करावें न ही किसी तरह से भारित करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे मौके व राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति कायम रखावे। दिनांक 18.12.2015 को वादी को यह पता चला कि वाद वर्णित आराजीयात बाबत् स्थगन नहीं है अन्य आराजीयात बाबत् ही स्थगन है तो वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में से उनका नाम हटाने बाबत् कहा तो मना कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि इन आराजीयात पर कब्जा भी कर लेगे तथा अतिशीघ्र खुर्द बुर्द कर देगे। श्रीमान् उप पंजीयक राशमी को वाद वर्णित आराजीयात का किसी भी तरह से हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नहीं फरमाने बाबत् पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 7 के यहाँ भूमि रहने होने से रहन राशि प्रतिवादी से वसूल करने आगे लोन नहीं देने हेतु जानकारी हेतु पक्षकार बनाया है तथा तहसीलदार साहब राशमी भूधारक होने से तथा पटवारी साहब को राजस्व रेकार्ड यथा स्थिति बनाये रखने के लिये पक्षकार बनाये गये है। बिनाय वाद दिनांक 22.06.2015, 18.12.2015 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि ग्राम सोमी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी में स्थित वादि वर्णित आराजीयात नम्बर 209 रकबा 17 बिस्वा 212 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी है। तथा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व (मृतक) मु0 झमकु का खातेदारी अधिकार से दर्ज अंकन को हटवाया जावें। बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के

401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि ग्राम सोमी पटवार हल्का सोमी में स्थित आराजी संख्या 209, 212 जब तक तन्हा खातेदारी वादी के दर्ज नहीं हो जाती जब तक उक्त आराजी का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विक्रय दान वसीयत हक त्याग रहन व नामान्तरकरण नहीं करे करावें आदि द्वारा हस्तान्तरित व भारित नहीं करावे नहीं पंजीयन करावे राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखावें। तथा वाद वर्णित कुलिया आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त उपयोग में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व इनेके परिजन नौकर एजेन्ट आदि किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करे तथा आराजीयात में प्रवेश नहीं करें। दोहराने कार्यवाही यदि प्रतिवादीगण उक्त वाद वर्णित आराजी संख्या 209 व 212 का किसी तरह से हस्तान्तरण विलेख का निष्पादन करा देते है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई जावे तथा कब्जा करने पर रोक लगाई जावें।

इस पर वादी के वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 30.12.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 के बावजूद सम्मन तामील के हाजिर नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 02.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध भी कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। पत्रावली में कार्यवाही एक तरफा होने से तनकियात कायम नहीं की गई। दिनांक 26.02.2018 को साक्ष्यवादी में वादी सोहनलाल पिता देवा जाति बैरवा निवासी सोमी का शपथ पत्र पेश हुआ। वादी ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि में उक्त प्रकरण में वादी हूँ मैं प्रतिवादीगण को व वादग्रस्त आराजीयात को जानता हूँ वादग्रस्त आराजी नम्बर 209, 212 मौजा सोमी में स्थित है उक्त आराजीयात वर्तमान

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राशमी जिला-चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व झमकु बेवा देवा के नाम दर्ज है। झमकु की मृत्यु दिनांक 17.06.2014 को हो गई है। वादी के पिता देवा का परिवार सजरा वादपत्र मुताबिक है। इस प्रकार उक्त देवा के तीन लडके थे लोबा, सोहन, शंकर। लोबा देवा के जीवनकाल में ही देवा के बडे भाई गोकर के गोद चला गया गोकल की मृत्यु देवा की मृत्यु से पहले ही हो गई थी तथा गोकल की आराजीयात का नामान्तरकरण भी लोबा के नाम फैसल हो गया था लोबा की मृत्यु के बाद लोबा के वारिस मु0 रतन प्रेमी मोहनी के नाम नामान्तरकरण फैसल हो गया। तथा देवा के छोटे के पुत्र शंकर भी देवा के जीवन काल में ही देवा के छोटे भाई मॉगु के गोद चला गया देवा के जीवनकाल में ही लोबा का कब्जा काश्त गोकल की कृषि आराजीयात पर हो गया तथा शंकर का कब्जा काश्त मॉगु की कृषि आराजीयात पर हो गया जो वर्तमान में भी चला आ रहा है। इस प्रकार वादी के पिता की मृत्यु के समय वारिस वादी तथा मु0 झमकु ही थे। मु0 झमकु की मृत्यु दिनांक 17.06.2014 को हो गई है झमकु की सेवा चाकरी व देखभाल वादी व उसके परिवारजनों ने ही की मु0 झमकु ने वादी के पक्ष में वसीयत नामा दिनांक 30.12.2013 को निष्पादित कर मु0 झमकु के हक अधिकार की समस्त चल अचल सम्पति कृषि आराजीयात सहित वादी के पक्ष में वसीयत कर दी इस प्रकार उक्त वाद वर्णित आराजीयात पर देवाजी की मृत्यु के पश्चात् वादी व मु0 झमकु का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा झमकु की मृत्यु के पश्चात् उक्त वाद वर्णित कुलिया आराजी पर (झमकु के हिस्से की अन्य आराजी सहित) एक मात्र कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है प्रतिवादीगण का उनके गोद जाने के समय से ही उक्त वर्णित आराजीयात पर से कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। वादी के पिता श्री देवा की मृत्यु उपरांत उक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण गलत रूप से वादी की अदम मौजूदगी

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में बिना जानकारी के प्रतिवादीगण ने अपने नाम मिलाभगति कर निर्णित करवा दिया जबकि मात्र वादी व वादी की माता मु0 झमकु के नाम ही निर्णित किया जाना चाहिए था झमकु की मृत्यु हो जाने से झमकु की वसीयत वादी के पक्ष में होने से तथा वाद वर्णित आराजीयात स्व0 देवा जी के स्व अर्जित होने से वादी वर्तमान राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवा उक्त वर्णित आराजीयात को अकेला अपने नाम दर्ज करवाने की खातेदारी अधिकारों की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22.06.2015 को उक्त वर्णित आराजीयात में उनका नाम हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादी शंकर ने तो वादी के पक्ष में वादवर्णित आराजीयात अन्य आराजीयातों सहित उसका हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग करने बाबत् एक हक त्याग पत्र दिनांक 22.06.2015 को निष्पादित करवा दिया परन्तु प्रतिवादीगण रतन प्रेमी मोहनी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मु0 कमला का एक दावा एसडीओ साहब राशमी के यहॉ चल रहा है तथा स्टे भी चल रहा है जिस कारण अभी हक त्याग नहीं करेगे। वादीगण को भी स्थगन होने की या नहीं होने की पूर्ण जानकारी नहीं थी। प्रतिवादीगण रतन मोहनी के निवेदन पर तहसीलदार साहब राशमी ने प्रतिवादी शंकर के द्वारा निष्पादित हक त्याग पत्र को पंजीयन नहीं फरमाया तथा शंकर ने भी यह कथन किया कि स्थगन हटते ही पंजीयन करा दूँगा। प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजीयात का अपने नाम खातेदारी के गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाने की तैयारी में होकर विक्रय करने पर तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिस बाबत वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का विकय दान आदि किसी भी तरह से हस्तान्तरण नहीं करे न नहीं हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन करावे न ही नामान्तरकरण करावे न ही किसी तरह से भारित करे तथा वादी

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

के कब्जे काश्त में किसी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति कायम रखे रखावें। दिनांक 18.12.2015 को वादी को यह पता चला कि वाद वर्णित आराजीयात बाबत् स्थगन नहीं है अन्य आराजीयात बाबत् ही स्थगन है तो वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजयीात में से उनका नाम हटाने बाबत् कहा तो मना कर दिया तथा वादी को धमकी दी कि इन आराजीयात पर कब्जा भी कर लेगे तथा अतिशीघ्र खुर्द बुर्द कर देगे। श्रीमान् उप पंजीयक राशमी को वाद वर्णित आराजीयात का किसी भी तरह से हस्ताक्तरण विलेख का पंजीयन नहीं फरमाने बाबत् पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 7 के यहॉ भूमि रहने होने से रहन राशि प्रतिवादी से वसूल करने आगे लोन नहीं देने हेतु जानकारी हेतु पक्षकार बनाया है तथा तहसीलदार साहब राशमी भूधारक होने से तथा पटवारी साहब को राजस्व रेकार्ड यथा स्थिति बनाये रखने के लिये पक्षकार बनाये गये है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित फरमावें। प्रदर्श-1 नकल जमाबंदी मौजा सोमी पटवार हल्का सोमी की संवत् 2069-2072 के खाता संख्या 355, प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी मौजा सोमी पटवार हल्का सांखली II की संवत् 2053-2056 के खाता संख्या 115, प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी मौजा सोमी पटवार हल्का सांखली II की संवत् 2053-2056 के खाता संख्या 225, प्रदर्श-4(अ) वसीयतनामा अंतिम ईच्छा पत्र किमती 100-/ रूपये दिनांक 30.12.2013, प्रदर्श-5(अ) मृत्यु प्रमाण पत्र मु0 झमकु बाई पत्नि देवा बैरवा निवासी सोमी, प्रदर्श-6(अ) दस्तावेज पैत्रिक हिस्से के हक त्याग पत्र अज तरफ शंकरलाल पिता देवा दत्तक पिता मॉगु जाति बैरवा निवासी सोमी दिनांक 22.06.2015 दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। दिनांक 26.02.2018 को वादीगण की और से और कोई शहादत प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन से साक्ष्यवादी बंद की गई। दिनांक 28.02.2018 विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली को एक तरफा सुना गया। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता वादी ने मुताबिक वाद पत्र तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की। विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रदर्श-4(अ), प्रदर्श-5(अ), प्रदर्श-6(अ) छाया प्रति होने से मूल दस्तावेज बहस का दौरान अवलोकन कराया एवं मूल दस्तावेज अधिवक्ता वादी को लौटाये गयें। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ताा वादी द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा मनन किया। विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादीगण अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिसकी ताईद प्रदर्श-1 एवं प्रदर्श-2 से होती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विरासतन हक से मृतक खातेदार लोबा की आराजीयात प्राप्त हुई है जिसकी ताईद प्रदर्श-3 से होती है। मृतक खातेदार झमकु बेवा देवा ने अंतिम ईच्छा पत्र से विवादित आराजीयात के हक अधिकारों वादी देवा में निहित किये गये है जिसकी ताईद प्रदर्श-4(अ) से है, एवं प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में भी कोई खण्डन नहीं किया गया है। प्रदर्श-6(अ) से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भी हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा भी कार्यवाही एक तरफा होने से इसका खण्डन नहीं हुआ है। समस्त प्रतिवादीगण पक्षकारान द्वारा वादपत्र में एक तरफा होने से किसी भी प्रकार से वाद पत्र का खण्डन प्रत्युत्तर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जहॉ तक शहादत का प्रश्न है साक्ष्यवादी में वादी का स्वयं का शपथपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। कार्यवाही एक तरफा होने से वादी के शपथपत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में वादी के अखण्डित शपथ पत्र को स्वीकार किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सुनी गई बहस एक तरफा का मनन किया। प्रतिवादीगण को विरासत अधिकारों की प्राप्ति अन्य से हो चुकी है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से जाहिर होती है

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
रावली, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसे वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराई है। ऐसी स्थिति में वादी की घोषणा की दाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहाँ तक स्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न है वादी द्वारा अपनी घोषणा की दाद की पुष्टि कराई गई है इस कारण से स्थाई निषेधाज्ञा भी पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सोमी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 209 रकबा 0-17 बीघा आराजी संख्या 212 रकबा 2-06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3-03 बीघा का वादी सोहनलाल पिता देवा बैरवा को तन्हाँ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें। यह निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/18

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

सोहनलाल पिता देवाजी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

वादी

बनाम

1. रतन लाल पिता लोबा जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
2. मु. प्रेमी पिता लोबा जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 पत्नि नारायण लाल जी जाति बैरवा हाल निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द राज0
3. मोहनी बेवा लोबा जी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
4. शंकर पिता देवा जी गोदपुत्र मांगूजी बैरवा निवासी सोमी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
5. श्रीमान् उपपंजीयक महोदयजी एवं तहसीलदार साहब राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
6. श्रीमान् पटवारी जी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0
7. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रतिवादीगण

—:: वादपत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::—

प्रकरण संख्या :— 110/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरू श्री केएल अहीर अधिवक्ता वादी एक तरफा प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा सोमी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 209 रकबा 0—17 बीघा आराजी संख्या 212 रकबा 2—06 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3—03 बीघा

(पंकज शर्मा)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का वादी सोहनलाल पिता देवा बैरवा को तन्हॉ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.02.2018 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, राशमी चित्तौड़गढ़

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, राशमी चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official